




प्रा. पत्र पत्रावली का कोई डांगिया नहीं रह गया है।  
-आतः यह प्रा. पत्र पत्रावली भी नए प्रस में खारिज  
कर प्रकरण की डांगिया कार्यवाही इसी स्तर पर  
डोप की जाती है। पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन  
डांगिया निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली केवल  
सुमार होकर नम्बर से कम हो। बाक सन्धील  
संलग्न मूल दवा पत्रावली रहे। सुनाया गया।

  
उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज्